जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

बुक नं. 33

क्रमांकः 54

क्रमांकःज.वि.प्रा.अ.शा./82/............ दिनांकः 14/08/2026

नोटिस बनाम - मौके पर बताये अनुसार
भूस्वामी :- (1) श्रीमती साधि फतेहपुरिया (2) श्रीमती हेमा सुखानी

श्री संचालक श्री डा० आर.एल. पुनिया स्वामी/अभियोगी

पता भूखण्ड स. 155 केशव विहार श्री चैतन्य एकेडमी

......गोपालपुरा बाईपास जयपुर।..............................

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण

उपायुक्त जोन-C कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा अनुमोदित योजना केशव विहार के भूखण्ड स. 155 में ज.वि.प्रा से बिना भवन निर्माण स्वीकृति के एवं बिना भू-रूपान्तरण कराये बिना श्री चैतन्य एकेडमी कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है। सैटबैक में अतिक्रमण कर निर्माण किया हुआ है। बेसमेन्ट + ग्राउण्ड + 4 का निर्माण कर रखा है। दो पहिया पार्किंग बेसमेन्ट में उपलब्ध है। व्यवसायिक भवन में बिना स्वीकृति के कोचिंग/शैक्षणिक संस्थान संचालित है जो अवैध है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्मने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के ....7 दिवस........ में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20/08/2026...... को ...10.00 Am...... बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज ...14/08/2026.......... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, जोन-C
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर